न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–20 / 2020–21

राज्य बनाम मिठु कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
19.03.2021	**आदेश** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1099 / हि0शा0 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा मोरकाही थाना कांड संख्या–68 / 2020, दिनांक 24.06.2020, धारा–30ए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल वाहन संख्या– BR34C-1135 का बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। पुलिस निरीक्षक सदर खगड़िया अंचल के प्रतिवेदन दिनांक 10.07.2020 के अनुसार दिनांक 24.06.2020 को थाना के सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती के लिए थाना से प्रस्थान किये कोशी नदी के किनारे कीता घाट रामधुनी मंडप के पास वाहन चेंकिग कर रहे थे। एक मोटर साईकिल हीरो कम्पनी जिसका पंजीयन संख्या–BR34C-1135 पर दो सवार व्यक्ति उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आ रहे थे। पुलिस बल के सहयोग से उसे रोका गया तथा सवार दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर वे अपना अपना नाम सुबोध सदा पे0–ब्रह्मदेव सदा साकिन–सुखासन एवं फुलचन्द सदा पे0–स्व0 हकरू सदा साकिन–बहोरवा दोनो थाना–मोरकाही जिला–खगड़िया बताये। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त स्थल पर खड़े मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34C-1135 के सीट पर से प्लास्टिक के झोला में एक पीला रंग के गैलन से करीब 4.00 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन के चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध मोरकाही थाना कांड संख्या–68 / 2020 दिनांक 24.06.2020 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। चूँकि अवैध शराब / मादक द्रव्य / नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। वाहन स्वामी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा C.W.J.C No-375/2021 में दिनांक 04.04.2021 को पारित आदेश के आलोक में कारण–पृच्छा दाखिल कर जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया है। वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के द्वारा वाहन स्वामी को अभियुक्त बनाया गया है।, वाहन स्वामी से गाँव के ही सुबोध सदा पे0–ब्रह्मदेव सदा साकिन–सुखासन ने मोटर साईकिल से बाजार अपनी माँ की दवा लाने की बात कह कर गाड़ी को ले गया तथा देशी शराब के साथ पकड़ा गया। वाहन स्वामी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया कि जप्त वाहन जो खुले आकाश में खड़ी है वह बरसात के मौसम में वाहन में जंग लगने की संभावना है जिसे वाहन खराब हो सकता है। इस	

{3/4

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख 3.

प्रकार इस कांड में गाड़ी मालिक का इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक एक गरीब व्यक्ति है, वे अपना खेती बाड़ी कर अपना घर चलाते है। इस प्रकार वाहन मालिक इस कांड में पूरी तरह से निर्दोष है। उक्त आधार पर उनके स्वामित्व के वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34C-1125 के सीट पर से एक प्लास्टिक के गैलन से करीब चार लीटर देशी शराब बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन चौर्य व्यापार एवं भंडारण प्रतिबंध है। इस तरह, उक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या– BR34C-1135 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राज्यसात करने का पर्याप्त आधार है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।

Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.**- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(mm) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :–

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की ब गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नशीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

(ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।	

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34C-1135 के सीट पर से एक प्लास्टिक के गैलन में चार लीटर देशी शराब बरामद बरामद किया गया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। जप्त वाहन के सीट पर रखें गैलन से बरामद देशी शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

1.इस अपराध में प्रयुक्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34C-1135 जप्त कर मोरकाही थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी विक्री किया जाय।

2.**जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया** को निदेश दिया जाता है कि वे मोरकाही थाना में जप्त मोटर साईकिल वाहन संख्या–BR34C-1135 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.**अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष खगड़िया एवं संबंधित प्रतिवादी को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।	12/4/21 अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

डी0 पी0 न0 279 दिनांक 15-4-21

प्रतिलिपि - उत्पाद आयुक्त बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / थानाध्यक्ष मोरकाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता सह अपर जिला दण्डाधिकारी खगड़िया